"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012—आश्विन 20, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

RAJ BHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 24th September 2012

No. 1522/7664/2008/RS/U-9.—In continuation to Raj Bhavan Secretariat Notification Nos. 1151/7664/2008/RS/U-9 dated 26-5-2012 the term of the tribunal to submit award is hereby extended further for one more month.

The other terms and conditions remain the same.

Sd/-
(Shekhar Dutt)
Governor of Chhattisgarh and
Kuladhipati of State Universities.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री एस. जगदीशन, भा.व.से. (2005) वनमंडलाधिकारी, कार्य आयोजना, वनमंडल, सरगुजा की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर (जगदलपुर) को स्थानांतरित कर उन्हें अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को महाप्रबंधक (पुनर्वास), नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पद के विरुद्ध, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री जितेन कुमार, भा.व.से. (1986), आयुक्त, श्रम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-1-2/2003/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/14/2007-एआईएस (I), दिनांक 17-08-2007 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6(1) के अंतर्गत श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से. (एएम:1991) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिये सौंपी गई थी. श्री विजयेन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में दिनांक 24-09-2007 को कार्यभार ग्रहण किया गया.

2. अतएव श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से. की प्रतिनियुक्ति अवधि रविवार दिनांक 23-09-2012 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (असम/मेघालय शासन) को दिनांक 22-09-2012 (अपरान्ह) से वापस लौटाई जाती है.

3. श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से., सचिव, खनिज साधन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म का प्रभार श्री एम.के.त्यागी, भा.प्र.से. (1997), विशेष सचिव, मान. मुख्य मंत्री एवं संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी तथा विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक 1180/1338/अव./2012/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21-08-2012 से 01-09-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक 1229/585/अव./2012/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 27-08-2012 से 30-08-2012 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चांदे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चांदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक 1905/1869/2012/1-8/.—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31-07-2012 के अनुक्रम में श्री अंजनी कुमार सिन्हा, संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा, रायपुर की सेवाएं वित्त विभाग से लेते हुए इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, वित्तीय सलाहकार आदिमजाति कल्याण विभाग (वित्तीय प्रकोष्ठ) छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक 1231/630/अव./2012/1-8/स्था.—श्री उमेश द्विवेदी, (संविदा) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 12-09-2012 से 26-09-2012 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्रमांक 1233/625/2012/1-8/स्था.—श्री सी. पी. साहू, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 23-07-2012 से 16-08-2012 तक 25 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्रमांक 1239/2081/2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 01-09-2012 से 12-09-2012 तक 12 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चक्रवर्ती आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चक्रवर्ती को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्रमांक 1991/607/अव./2012/1-8/स्था.—डॉ. संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 13-08-2012 से 14-09-2012 तक 33 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 10, 11, 12-08-2012 एवं 15, 16-09-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. अलंग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक 7915/1239/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, श्री भुवनलाल साहू, अधिवक्ता/नोटरी, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) का नाम नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के अंतर्गत नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2012

क्रमांक-एफ 3-46/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है.	उस थाने/चौकी का नाम, जिसमें अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवीन थाना-उरगा जिला-कोरबा	थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	उरगा	16
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	फरसवानी	08
		—,,—	उमरेली	10
		—,,—	तरदा	01
		—,,—	गिधौरी	18
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	तिलकेजा	18
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	सोहागपुर	13
		—,,—	बरपाली	04
		थाना व तह. कोरबा, जिला-कोरबा	देवरमाल	14
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	कनकी	02
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	भैसमा	19
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	रीवांपार	08
		—,,—	कथरीमाल	01
		—,,—	टोण्डा	09
		—,,—	कुदुरमाल	14
		थाना व तह.-कोरबा, जिला कोरबा	सरगबुंदिया	03
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	कोथारी	12
		—,,—	तुमान	20
		—,,—	ढोढातराई	19
		थाना व तह.-कोरबा, जिला कोरबा	करमंदी	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	जर्वे	05
		—,,—	सुखरीखुर्द	10
		—,,—	जुनवानी	18
		थाना-कोरबा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा	जपेली	23
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	अखरापाली	16
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	बीरतराई	06
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	दर्राभाठा	08
		—,,—	पहन्दा	17
		—,,—	पताढ़ी	17
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	सुखरीकला	09
		—,,—	जमनीपाली	11
		—,,—	पुरैना	05
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	बरीडीह	15
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	गाड़ापाली	17
		—,,—	करीपाली	09
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	खोड्डल	17
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	नवलपुर	12
		—,,—	रोगदा	12
		—,,—	बगदर	07
		—,,—	जोगीपाली	02
		—,,—	मुकुन्दपुर	13
		—,,—	कलमीभांठा	18
		—,,—	पहाड़गांव	14
		—,,—	घाठाद्वारी	16
		—,,—	देवलापाठ	07
		—,,—	कांशीपानी	08
		—,,—	खरहरकुण्डा	16
		—,,—	चिचोलीह	07
		—,,—	जामपानी	18
		—,,—	पकरिया	17
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	कुरूडीह, भैसमा	12
		—,,—	कटबितला	15
		—,,—	सरईडीह	17
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	धमनामुड़ी	15
		—,,—	बंधवाभांठा	04
		—,,—	बुढ़ियापाली	14
		—,,—	सीधापाठ	16
		—,,—	कुरूडीह (सोहागपुर)	13
		—,,—	महुवाडीह	13
		—,,—	सलिहाभांठा	04
		—,,—	भेलवागुड़ी	16
		थाना-कोरबा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा	रंगबेल	24
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	खरवानी	11
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	कुदरी	12
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा-	नयापारा (रोंगदा)	12
		—,,—	फूलझर	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	पचपेढ़ी	11
		—,,—	भांदा	02
		—,,—	खरहरी	05
		—,,—	भवरखोल	15
		—,,—	भैसामुड़ा	02
		—,,—	महोरा	06
		—,,—	करईनारा	16
		—,,—	बंजारी	12
		—,,—	लबेद	18
		—,,—	लीमगांव	14
		—,,—	गितारी	06
		—,,—	नवापारा पकरिया	17
		—,,—	नवापारा अमलीडीहा	10
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	बरबसपुर	16
		थाना-कोरबा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा	भलपहरी	23
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	साजापानी	15
		थाना-कोरबा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा	धनाडबरी	24
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	छोटेनवापारा	12
		—,,—	ढनढनी	03
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	कुकरीचोली	19
		—,,—	बगबुड़ा	18
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	छातापाठ	18
		—,,—	बैगापाली	01
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	भिलाईखुर्द	13
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	ठरकपुर	17
		—,,—	संडैल	03
		—,,—	दमखांचा	16
		—,,—	पठियापाली	15
		—,,—	छुईहा	10
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	आमापाली	18
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	कचोरा	06
		—,,—	ढिटोरी	14
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	मसान	19
		थाना-कोरबा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	अलडीहा	10
		—,,—	मड़वारानी	04
		—,,—	सरईपाली	11
		—,,—	कनबेरी	24
		थाना व तह.-कोरबा, जिला-कोरबा	सेमीपाली	16
		—,,—	कर्रानारा	16
	नवीन पुलिस चौकी पोड़ी	थाना व तह.-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	पोंड़ी	21
		—,,—	रीवापार	26
		—,,—	परसाहा	26
		—,,—	बुधवारा	26
		—,,—	रहंगी	26
		—,,—	प्रभाटोला	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह.-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	पोंड़ीटोला	25
		—,,—	सिल्हाटी	16
		—,,—	कारेसरा	18
		—,,—	बैहरसरी	20
		—,,—	बघर्रा	20
		—,,—	उसलापुर	16
		—,,—	मानिकपुर	16
		—,,—	सारंगपुरकला	19
		—,,—	नेऊरगांवखुर्द	21
		थाना व तह.-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	राम्हेपुर खुर्द	09
		—,,—	सिंघनपुरी	09
		—,,—	सुरजपुरा	09
		—,,—	दशरंगपुर खुर्द	08
		—,,—	खैरीपार	08
		थाना व तह.-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	चण्डालपुर	27
		—,,—	खड़ोदाकला	18
		—,,—	कुसुमघटा	17
	थाना हसौद	थाना व तह.-हसौद, जिला-जांजगीर-चांपा	हसौद	31
		—,,—	मल्दा	24
		—,,—	कैथा	31
		—,,—	मरघटी	60
		—,,—	परसदा	26
		—,,—	बोइरडीह	20
		—,,—	चिस्दा	23
		—,,—	देवरघटा	22
		—,,—	डोमाडीह	23
		—,,—	रनपोता	16
		—,,—	धमनी	26
		—,,—	खैरझिटी	36
		—,,—	गुजियाबोड़	41
		—,,—	घोराडीपा	26
		—,,—	जमडी	23
		—,,—	झरप	25
		—,,—	डोटमा	25
		—,,—	तुमीडीह	13
		—,,—	नगारिडीह	23
		—,,—	पिसौद	41
		—,,—	पेण्ड्री	38
		—,,—	बरेकेल खुर्द	21
		—,,—	बरेकेल कला	30
		—,,—	भनेतरा	27
		—,,—	लालमाटी	21
		—,,—	हरेठीखुर्द	34
		—,,—	हरेठीकला	40
		—,,—	अमलीडीह	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह.-हसौद, जिला-जांजगीर-चांपा	भातमाहुल	41
		—,,—	देवरीमठ	29
		—,,—	मिरौनी	15
		—,,—	अमोदा	26
		—,,—	मुड़पार	15
		—,,—	नरियरा	15
		—,,—	गुडरूकला	26
		—,,—	बैहागुडरू	33
	नवीन चौकी-उपरवारा थाना-राखी, जिला-रायपुर.	थाना-राखी	उपरवारा	20
			तेन्दुआ	28
			चेरिया	28
			बंजारी	28
			कुरू	27
			नवागांव	35
			तर्रा	27
			बेन्द्री	18
			खण्डवा	22
			भेलवाडीह	22
			निमोरा	19
	नवीन चौकी-सोनाखान थाना व तह.-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	थाना व तह.-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	सोनाखान	33 से 35
			भुसड़ीपाली (वीरनारायणपुर)	33 से 35
			महकम	33 से 35
			बंगलापाली	33 से 35
			कसौंदी	33 से 35
			नवागांव	वनग्राम
			कोठारी	वनग्राम
			तालदादर	वनग्राम
			कंजिया	वनग्राम
			जोगीद्वीप	वनग्राम
			कौहापुड़ा	वनग्राम
			चिखली	33 से 35
			सलिहाभाठा	वनग्राम
			देवतराई	वनग्राम
			बिटकुली	वनग्राम
			चन्हाट	वनग्राम
			सण्डी	वनग्राम
			सारसडोल	वनग्राम
			पठियापाली	वनग्राम
			झालपानी	वनग्राम
			फरफुंदी	वनग्राम
			बासिनपाली	वनग्राम
			मिरगीदा	वनग्राम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

क्रमांक 5271/टीसी/2012.—छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65, 111 एवं धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 184 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"184-क. **राज्य में विक्रय के लिये मोटर यान के नये मेक एवं मॉडल का अनुमोदन—**

(1) निर्माता द्वारा प्रस्तुत मोटर यान के नये मेक एवं मॉडल को विनियमित करने हेतु और इस तरह के मोटर यान के निर्माता एवं व्यवसायी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु राज्य में ऐसे नये वाहनों के विक्रय के संबंध में, ऐसे निर्माता और/अथवा व्यवसायी के लिए यह आवश्यक होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे मोटर यानों के विक्रय से पूर्व वाहन के प्रत्येक मेक एवं मॉडल के लिये अनुमति प्राप्त करे.

(2) ऐसा निर्माता एवं व्यवसायी परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को सादे कागज पर अनुमति हेतु प्रत्येक मेक एवं मॉडल के लिए अलग-अलग आवेदन निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हुए प्रस्तुत करेगा :—

(एक) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित एजेंसी से प्राप्त अनुमोदन के साथ प्रश्नाधीन मोटरयान का अनुमोदित प्रोटोटाईप.

(दो) ऐसे वाहन के तीन भिन्न दिशाओं से खींचे गये कलर फोटोग्राफ की प्रति एवं उसके प्रकाशित लीफलेट.

(तीन) प्रश्नाधीन वाहनों के मेक एवं मॉडल के विक्रय के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माता द्वारा नियुक्त व्यवसायियों की सूची.

(चार) निर्माता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन को हस्ताक्षरित किया जायेगा.

(पांच) परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी.

(छः) आवेदक द्वारा संबंधित प्रकार के वाहन के लिए ऐसे आवेदन हेतु निम्नलिखित फीस का भुगतान किया जाएगा :—

(क)	मोपेड एवं मोटरयुक्त साईकिल (50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता)	—	रु. 500.00
(ख)	मोपेड एवं मोटरयुक्त साईकिल से भिन्न मोटर-साईकिल	—	रु. 1,000.00
(ग)	तिपहिया वाहन	—	रु. 1,500.00
(घ)	हल्का मोटर यान जिसमें चेसिस सम्मिलित है	—	रु. 2,000.00
(ङ)	मध्यम मोटर यान जिसमें चेसिस सम्मिलित है	—	रु. 2,500.00
(च)	भारी मोटर यान जिसमें चेसिस सम्मिलित है	—	रु. 3,000.00
(छ)	ट्रेक्टर	—	रु. 1,000.00
(ज)	कोई अन्य प्रकार का मोटर यान जो ऊपर उल्लिखित नहीं है	—	रु. 1,000.00

(3) परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ स्वयं की सन्तुष्टि करने के पश्चात्, आवश्यक शर्तें अधिरोपित करते हुए राज्य में ऐसे मेक एवं मॉडल के वाहन को पंजीयन की अनुमति प्रदान करेंगे, एवं राज्य के समस्त पंजीयन प्राधिकारियों को सूचित करेंगे.

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाला निर्माता भी राज्य के पंजीयन अधिकारियों को ऐसी अनुमति की प्रति, स्वयं अथवा मोटरयान के व्यवसायी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा.

No. 5271/TC/2012.—In exercise of the powers conferred by Sections 65, 111 and Sections 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994, the Same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After Rule 184, the following shall be inserted, namely :—

"184-A. **Approval of new make and model of motor vehicle for sale in the State.—**

(1) To regulate the new make and model of motor vehicles introduced by the manufacturer and thereby to control the activities of the manufacturer and dealers in motor vehicles regarding sale of such new vehicles in the State, it is necessary for such manufacturer and/or dealers to obtain permission for every make and model of vehicle before the sale of such motor vehicles in the State of Chhattisgarh.

(2) Such manufacturer and dealers shall apply for each make and model separately for permission on plain paper to the Tansport Commissioner, Chhattisgarh complying the following conditions :—

(i) Approvals obtained from the agency mentioned in rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 alongwith approved prototype of motor vehicle in question.

(ii) Copy of colour photographs of such vehicle from three different directions and leaflet published thereof.

(iii) List of dealers appointed by the manufacturer in the State of Chhattisgarh regarding the sale of make or model of vehicles in question.

(iv) Application shall be signed by the manufacutrer or authorized representative.

(v) Any other information as required by the Transport Commissioner from time to time.

(vi) Following fee for such application shall be paid for the respective type of vehicle by the applicant :—

(a)	Mopeds and Motorized cycles (engine capacity not exceeding 50 cc)	—	Rs. 500.00
(b)	Motor-Cycle other than mopeds and motorized cycles	—	Rs. 1,000.00
(c)	Three wheelers vehicles	—	Rs. 1,500.00
(d)	Light motor vehicle including chassis	—	Rs. 2,000.00
(e)	Medium motor vehicle including chassis	—	Rs. 2,500.00
(f)	Heavy motor vehicle including chassis	—	Rs. 3,000.00
(g)	Tractor	—	Rs. 1,000.00
(h)	Any other type of motor vehicle not mentioned above	—	Rs. 1,000.00

(3) Transport Commissioner, Chhattisgarh after being satisfied, grant permission imposing necessary condition thereof to register the vehicle of such make and model in the State, and inform all Registering Authorities of the State.

(4) Manufacturer receiving such permission shall also submit copy of such permission to the Registering Authorities of the State, himself or through the dealer of motor vehicles.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक 3576/एफ 1-24/2007/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री देवेन्द्र नाथ वर्मा, प्राचार्य (स्नातकोत्तर), जो वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ में कुल सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं की, प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है तथा श्री वर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर में देवें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नर्रे, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-21/2012/सक/26.—राज्य शासन द्वारा, समाज कल्याण की योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से, नवीन समाज कल्याण संचालनालय के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है. तद्नुसार "समाज कल्याण संचालनालय" का गठन किया जाता है. समाज कल्याण संचालनालय का मुख्यालय रायपुर में होगा. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में समाज कल्याण संचालनालय की योजनाओं के संचालन, बजटीय व्यवस्था एवं पद संरचना स्वीकृति आदि की कार्यवाही पृथक से की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-21/2012/सक/26.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए "संचालक" (भा.प्र.से.) वेतनमान रुपये 37400-67000+ग्रेड वेतन 8700 में 01 पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है.

उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या-34-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-02-सामाजिक कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-2322 निर्देशन एवं प्रशासन आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 448/सी.एन./बजट-2/वित्त/चार/2012, दिनांक 28-06-2012 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक-एफ 7-34/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पखांजूर, निवेश क्षेत्र, जिला कांकेर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

पखांजूर, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम हरिहरपुर, सत्यनंदपुर एवं सुभाषनगर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम सुभाषनगर, विद्यानगर, सोहगांव एवं उदयपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम उदयपुर एवं इन्द्रप्रस्थ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	-	ग्राम इन्द्रप्रस्थ, पखांजूर कॉलोनी एवं हरिहरपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्रमांक-एफ 7-36/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए छुरा, निवेश क्षेत्र, जिला गरियाबंद का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

छुरा, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम कोसमबुड़ा, हरदी एवं डागनबाय ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	-	ग्राम डागनबाय एवं पंडरीपानीडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम पंडरपानीडीह, गादीकोठ, रावनभाठा एवं सारागांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम सारागांव एवं कोसमबुड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्रमांक-एफ 1-35/2010/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 4 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सदस्य नियुक्त करता है :—

1. श्री रामजी भारती, विधायक, डोंगरगढ़
2. श्री सेवक राम नेताम, विधायक, केशकाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	बरगांव प. ह. नं. 29	4.424	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज कार्य स्थल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा. प्र. क्र./18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनिथम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चलगली	1.160	कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा. प्र. क्र./19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	किरकिमा	0.736	कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा. प्र. क्र./20/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	नागम	1.336	कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	गंगोली व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8286/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	पैरी प. ह. नं. 22	1.337	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के पैरी माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8287/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सिंगारपुर प. ह. नं. 22	0.259	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8288/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुंगेरी नवागांव प. ह. नं. 20	0.089	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर के पूरक प्रकरण के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8289/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी प. ह. नं. 22	1.011	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सिंगारपुर माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8290/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी प. ह. नं. 22	1.995	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अर्जुनी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8291/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी प. ह. नं. 22	0.735	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के पैरी माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8292/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सालिक झिटिया प. ह. नं. 21	3.293	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अर्जुनी-सालिक झिटिया माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8293/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह प. ह. नं. 19	0.614	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरसनटोला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक/8294/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सिंगारपुर प. ह. नं. 22	2.005	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सिंगारपुर माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कोटमीसोनार प.ह.नं. 04	0.405	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर मु. चांपा (छ.ग.)	करनाला जलाशय योजना डुबान के अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कल्याणपुर प.ह.नं. 04	0.405	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर मु. चांपा (छ.ग.)	कर्रानाला जलाशय योजना डुबान के अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/834/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में).		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 22	0.032	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के पुरेना माइनर क्र. 01 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/835/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियंम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मेढ़ापाली प.ह.नं. 21	0.064	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के मेढ़ापाली माइनर क्र. 01 एवं 02 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/836/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	अमलडीहा प.ह.नं. 19	0.061	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के मुक्ता वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/837/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डोमनपुर प.ह.नं. 19	0.077	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के बोरसी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/838/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	नवापारा प.ह.नं. 24	3.762	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के नावापारा माइनर क्र. 02 एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/839/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डोमनपुर प.ह.नं. 19	1.260	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के नावापारा माइनर क्र. 01 एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/840/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी प.ह.नं. 21	0.949	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के किरारी माइनर क्र. 03 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बिरगहनी, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	87/3, 88/3, 89/4	1.95
योग		1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोंदईया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	803	0.36
योग	1	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्रमांक 27.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1090/2	0.032
	1090/5	0.036
	1090/6	0.065
योग	3	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंचाई कालोनी जर्वे पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक 18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-परसाहीनाला, प.ह.नं. 03/04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.943 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	77/1	0.943
योग	1	0.943

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

क्रमांक/841/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
250	0.012
264	0.020

(1)	(2)
263/1, 265/1	0.016
263/2, 265/2	0.016
263/3, 265/3	0.016
262	0.049
261/1	0.040
261/2	0.040
259	0.089
258/4	0.040
258/1	0.040
258/3	0.040
258/2	0.065
273	0.125
308	0.032
307	0.032
306	0.045
299	0.129
298	0.024
297	0.073
296	0.045
295/1	0.045
295/3	0.040
295/4	0.097
295/2	0.024
294	0.040
293	0.032
292	0.057
291	0.073
290	0.040
289	0.057
288	0.032
287	0.032
286	0.032
285	0.036
284	0.053
283, 966	0.040
282	0.081
योग 38	1.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज प्रहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा.प्र.क्र./18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-चलगली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.160 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
182/1	0.020
267/2	0.020
220	0.206
204	0.016
183/1	0.008
191	0.020
250/5	0.125
182/3	0.020
248/3	0.077
250/3	0.061
243	0.028
182/2	0.020
249/2	0.008
250/2	0.061
198	0.061
280/1	0.210
250/4	0.061
269/28	0.045
245/1	0.020
205	0.045

(1)	(2)
203	0.028
योग	1.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगोली व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा.प्र.क्र./19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-लुण्ड्रा
(ग) नगर/ग्राम-किरकिमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.736 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308	0.081
375/1	0.041
383	0.259
379	0.024
384	0.125
374/1	0.049
386	0.057
380	0.064
308/423	0.036
योग	0.736

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगोली व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा.प्र.क्र./20/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-लुण्ड्रा
(ग) नगर/ग्राम-नागम
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1327/1	0.032
795	0.101
1295	0.028
815	0.024
810/1	0.045
785	0.008
751	0.061
792	0.117
777	0.020
935/1	0.170
951	0.085
786	0.008
814	0.020
776/1	0.036

(1)	(2)
1282	0.028
941	0.073
953	0.008
787	0.008
813/2	0.040
781	0.024
765	0.041
1287	0.012
1293	0.032
946/2	0.049
784	0.032
1281	0.028
776/5	0.041
1201	0.008
1294	0.004
788/1	0.008
952	0.004
943	0.024
946/1	0.049
776/3	0.068
योग	1.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगोली व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य **शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची** के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-108.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61/4	0.012
61/1	0.020
46/1	0.324
66/1	0.323
75/1	0.040
230/1	0.045
46/2	0.121
122	0.587
64	1.023
120/5	0.405
73/2	0.947
111/1	0.798
145/3	0.405
117	0.129
145/2	0.275
150/2	0.210
63/11	0.223
60/2	0.259
66/2	0.210
120/4	0.405
61/2	0.583
131/1	0.324
63/5	0.170
63/10	0.304
68/1	0.008
106/2	0.183
189/1	0.093
223/1	0.117
120/7	0.283
63/7	0.640
63/12	0.304
87/39	0.049
87/40	0.049
87/41	0.049
83/4	0.043
152/8	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
152/1	0.065	128/1ख	0.024
86/3	0.105	128/4क	0.073
154/2	3.836	128/4ख	0.049
86/4	0.089	128/4ग	0.020
86/7क	0.186	128/13क	0.056
88/1क	0.126	128/13ख	0.037
88/1ख	0.049	128/16क	0.082
88/1ग	0.049	128/16ख	0.082
88/1घ	0.049	128/16ग	0.026
223/2	0.036	128/17क	0.065
86/7ख	0.243	183/1	0.401
86/11	0.060	183/2	0.401
86/12	0.089	186/1	0.129
88/2	0.274	186/2	0.134
87/2	0.040	187/1	0.162
87/6	1.824	187/2	0.162
87/7	1.553	188/1	0.251
87/8	0.081	189/3	0.227
87/3	0.405	185/2	0.081
87/4	0.186	185/3	0.081
87/5क	0.058	190/1	0.239
87/5ख	0.129	210/3	0.073
87/5ग	0.129	211/1	0.105
87/5घ	0.129	214	0.101
225/1	0.020	185/1	0.097
225/4	0.124	46/3	0.396
152/6	0.121	46/4	0.324
116	0.170	100	0.121
151/2	0.138	140/2	0.239
152/2	0.295	140/3	0.020
118	0.032	140/4	0.028
119/1	0.599	140/5	0.862
119/2	0.210	198	0.117
120/2	0.809	140/6	1.854
151/1	0.866	140/10	1.853
153	0.490	140/7	0.283
149/1	2.238	143/7	1.214
120/6	0.567	143/2	0.753
230/3	0.042	143/8	0.202
121/5	0.328	143/9	0.202
125/1	0.583	46/5	0.397
125/2ख	0.291	60/1	0.801
125/2क	0.291	196/4क	0.182
126/9	0.016	63/4	0.340
126/10	0.012	67	0.388
126/11	0.012	72	0.591
128/1क	0.105		

(1)	(2)
196/1	0.166
61/3	0.386
65	0.312
59/3	0.234
145/1	0.801
150/1	0.926
63/6	0.265
59/2	0.405
63/1	0.474
37/2	0.445
105/1	0.364
108/1	1.251
108/4	0.162
108/5	0.781
112	0.405
113/1	0.316
113/2	0.239
69	0.433
102/1	0.018
197	0.648
17	0.166
70	0.470
107	0.526
71	0.134
77/2	0.587
77/3	0.304
215	0.077
77/4	0.012
86/2	0.105
86/5	1.920
86/8क	0.172
86/8ख	0.049
86/8ग	0.049
224	0.093
203/1	0.162
222/1	0.061
78/1	0.615
80	1.149
75/2	0.709
79/1	0.360
73/1	0.316
199	0.024
76/1	0.073
74/1	2.618
101/1	0.385

(1)	(2)
77/1	0.962
92/1	0.053
92/9	0.111
110/1	0.054
92/2	0.053
92/10	0.111
110/2	0.056
126/2	0.041
129/2	0.173
132/2	0.187
132/10	0.247
135/2	0.157
92/3क	0.032
92/11क	0.049
110/3क	0.020
92/5	0.052
92/13	0.111
110/5	0.054
92/8	0.053
92/16क	0.013
110/8	0.055
123/4	0.311
126/8	0.045
129/8	0.173
132/16	0.151
132/20	0.049
135/8	0.157
189/4	0.116
188/3	0.125
225/2	0.073
225/5	0.074
92/14क	0.062
110/6	0.039
132/8	0.048
92/15	0.018
110/7	0.055
123/3	0.310
126/7	0.046
129/7	0.173
132/7	0.047
132/15	0.151
132/19	0.049
135/7	0.157
188/2	0.126

(1)	(2)	(1)	(2)
189/2	0.115	128/24क	0.089
97/1	0.316	137/1क	0.093
97/2	0.101	137/1ख	0.024
121/3	0.259	137/9	0.069
217	0.182	128/24ख	0.020
99/1	0.441	128/25	0.061
99/2	0.304	128/26	0.016
103	0.534	126/12	0.016
128/17ख	0.085	140/9	0.179
137/5	0.081	140/8	0.199
128/2क	0.155	110/9	0.016
128/2ख	0.011	110/10	0.016
128/3क	0.077	191	0.162
128/3ख	0.032	230/4	0.020
128/6	0.045	230/2	0.042
128/7क	0.026	66/5	0.486
128/7ख	0.052	120/3	0.170
128/7ग	0.051	66/4	0.121
128/10	0.016	159/2	0.251
128/12	0.077	160/3	0.154
128/18क	0.052	66/3	0.138
128/18ख	0.052	59/1	0.696
128/18ग	0.046	200	0.085
128/20क	0.006	91/1	0.042
128/20ख	0.010	129/1क	0.075
137/4	0.069	135/1	0.156
128/5	0.142	132/1क	0.089
137/6	0.129	132/9	0.247
137/8	0.093	62/1	0.089
190/2	0.231	62/2	0.089
137/7	0.198	62/3	0.089
128/8	0.134	62/4	0.089
128/9	0.093	62/5	0.093
128/27	0.016	62/6	0.089
128/30	0.134	62/7	0.089
128/36, 128/37, 128/38	0.044	91/10	0.093
128/32	0.027	62/8	0.089
128/11	0.057	66/2	0.138
128/14	0.016	46/8	0.335
128/28	0.053	46/7	0.466
128/19	0.027	60/3	0.129
128/21, 128/22, 128/23	0.055	60/4	0.203
137/2, 137/3	0.026	185/4	0.065
137/13, 137/14	0.036	58/2	0.405
128/15	0.081	58/3	0.694
137/10	0.012	91/3	0.093

(1)	(2)	(1)	(2)
91/4	0.093	87/38	0.049
91/5	0.093	92/15ग	0.046
91/6	0.093	121/1	0.283
91/7	0.093	121/4	0.405
91/8	0.093	127	0.202
91/9	0.093	136/1	0.154
91/11	0.049	136/2	0.324
91/12	0.049	131/2	0.138
91/13	0.049	111/2	0.161
91/14	0.049	105/3	0.251
91/15	0.049	108/7	0.202
91/16	0.049	160/4	0.312
86/1	0.073	160/1	0.101
86/6	1.530	108/2	0.372
86/10	0.077	108/3	0.069
201	0.405	159/6	0.777
202	0.243	143/3	0.736
83/2	0.015	143/1	0.243
87/1	0.152	143/6	1.854
87/11	0.049	159/1	0.356
87/12	0.049	155/1	0.267
87/13	0.049	155/2	0.316
87/14	0.049	108/6	0.798
87/15	0.049	109/3	0.231
87/16	0.049	158/3	0.182
87/17	0.049	92/12क	0.013
87/18	0.049	110/4	0.052
87/19	0.049	113/3	0.263
87/20	0.049	114	0.450
87/21	0.049	120/1	3.763
87/22	0.049	144/1	0.502
87/23	0.049	140/1	1.028
87/24	0.049	184/1	0.283
87/25	0.049	115	0.518
87/26	0.049	152/3	0.809
87/27	0.049	152/4	0.081
87/28	0.049	152/5	0.202
87/29	0.049	128/29	0.056
87/30	0.049	128/31	0.027
87/31	0.049	128/33, 128/34, 128/35	0.055
87/32	0.049	137/11, 137/12	0.026
87/33	0.049	128/39, 128/40, 128/41	0.032
87/34	0.049	137/15, 137/16	0.037
87/35	0.049	190/3क	0.131
87/36	0.049	190/3ख	0.129
87/37	0.049	190/3ग	0.129

(1)	(2)
190/3घ	0.129
132/21	0.020
133	0.636
144/2क	0.051
144/2घ	0.049
144/2ङ	0.049
149/2	0.324
149/3	0.012
160/2	0.514
152/7	0.101
157	0.255
156	0.174
158/1	0.182
158/3	0.049
159/3	0.093
143/5	0.688
143/18	0.243
159/4	0.482
159/5	0.243
184/2	0.372
91/17	0.049
91/18	0.049
91/19	0.049
91/20	0.049
91/21	0.049
91/22	0.049
91/23	0.049
91/24	0.049
91/25	0.049
91/26	0.049
91/27	0.049
91/28	0.049
91/29	0.049
91/30	0.049
92/12ख	0.049
92/12ग	0.049
126/1	0.041
129/1ख	0.049
129/1ग	0.049
132/1ख	0.049
132/1ग	0.049
87/9	0.097
87/10	0.097
92/3ख	0.020
92/11ग	0.013
110/3ग	0.016
92/11ख	0.049
110/3ख	0.020
92/16ख	0.049
92/16ग	0.049
92/14ख	0.049
144/2ग	0.148
144/2ख	0.074
144/2च	0.074
92/15ख	0.047
योग 469	108.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुडेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.584 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1570/2	0.200
1510/1	0.384
योग 2	0.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंगरसुता-कुडेकेला मार्ग पर मांड नदी पुल निर्माण व पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बंगरसुता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.896 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	406/3	0.040
	411/1	0.184
	457	0.160
	463	0.012
	407	0.056
	454	0.040
	458	0.028
	464	0.080
	408	0.200
	455	0.060
	461	0.036
	409	0.832
	456	0.080
	462	0.088
योग	14	1.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंगरसुता-कुडेकेला मार्ग पर मांड नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2012

क्रमांक/82/अ.भू.अ./12.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-6-23/सात-1/2009 रायपुर दिनांक 20-04-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के तहत संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है. अतएव उपरोक्त आदेश के आधार पर राजनांदगांव जिले के तहसील अं. चौकी के ग्राम ढाढूटोला, कोटरा एवं गुण्डरदेही से प्रस्तावित क्षेत्र अपवर्जित करके (ग्राम बांधाबाजार हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार क्षेत्रफल जनसंख्या समाविष्ट कर) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है.

स. क्र.	भूमि मदवार	ग्राम ढाढूटोला	ग्राम कोटरा	ग्राम गुण्डरदेही	ग्राम बांधाबाजार हेतु प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम का कुल रकबा	403.871 हे.	227.634 हे.	477.420 हे.	117.436 हे.
2.	खाते का रकबा	301.211 हे.	156.879 हे.	316.998 हे.	71.821 हे.
3.	गैर खाते एवं निस्तार का रकबा	99.112 हे.	67.439 हे.	155.457 हे.	33.607 हे
4.	जनसंख्या	2177	579	1024	1276

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	मवेशी संख्या	817	640	996	1231
6.	आबादी भूमि	3.548 हे.	3.316 हे.	3.934 हे.	12.008 हे.

(2) उपरोक्त चारों ग्रामों की सीमा निर्धारण सीमांकन तथा सीमा में विधिवत् चांदा मुनारा की स्थापना एवं रेखामापन करने का आदेश दिया जाता है.

(3) उपरोक्त चारों ग्रामों का पृथक-पृथक सम्पूर्ण राजस्व अभिलेखों का विधिवत् संधारण करने का निर्देश दिया जाता है.

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़, गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितंबर 2012

क्रमांक 4336 आ.आ./प्रशा./मुख्या./फा.नं.-0200/12.—छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-47/32/06-रायपुर दिनांक 24-09-2012 के अनुमोदन से मण्डल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में,—

1. अनुसूची-4 के सरल क्रमांक-4 एवं 5 के खाना क्रमांक 2 एवं 3 की वर्तमान प्रविष्टियों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टि स्थापित किया जाता है.
   (अ) मुख्य संपदा अधिकारी से मुख्य लेखा अधिकारी
   (ब) संपदा अधिकारी/लेखाधिकारी से मुख्य संपदा अधिकारी

2. यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जावे.

सोनमणि बोरा,
आयुक्त.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 सितम्बर 2012

क्रमांक 1591/क/बं.श्र./2012.—बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आर. एस. पी. त्यागी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) निम्नांकित सदस्यों को नामांकित करते हुये बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का गठन करता हूं :—

उप संभाग स्तरीय सतर्कता समिति-उप संभाग, जांजगीर

1.	श्री शिव कुमार तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, जांजगीर	अध्यक्ष
2.	श्री अजय उरांव	तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जांजगीर	सदस्य

3.	श्री एस. एस. दुबे	तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अकलतरा	सदस्य
4.	शाखा प्रबंधक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जांजगीर	सदस्य
5.	श्री परमानंद राठौर	नवगवां	सदस्य
6.	श्री संजय कश्यप	जावलपुर	सदस्य
7.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	कोटमीसोनार, अकलतरा	सदस्य
8.	श्री रघुबीर सिंह	बनाहिल, अकलतरा	सदस्य
9.	श्री विवेका गोपाल	जांजगीर	सदस्य
10.	श्री शंकर लाल बरेठ	जांजगीर	सदस्य

उप संभाग स्तरीय सतर्कता समिति-उप संभाग, चांपा

1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा	अध्यक्ष, चांपा
2.	तहसीलदार, चांपा	सदस्य, चांपा
3.	शाखा प्रबंधक, जिला (के.) सह., बैंक मर्या. शाखा, चांपा	सदस्य, चांपा
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बम्हनीडीह	सदस्य, चांपा
5.	श्री प्रदीप नामदेव, मु.पो.-झरना	सदस्य, चांपा
6.	श्री राकेश अग्रवाल, मु.पो.-चांपा	सदस्य, चांपा
7.	श्री संतोष सिंह जब्बल मु.पो.-चांपा	सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता
8.	श्री राजेश तिवारी, मु.पो.-चांपा	सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता
9.	श्री दीनदयाल राठौर, मु.पो.-सिवनी (चांपा)	सदस्य, चांपा
10.	श्री राकेशधर दीवान, मु.-पचोरी, पो.-अफरीद	सदस्य, चांपा

उप संभाग स्तरीय सतर्कता समिति-उप संभाग, पामगढ़

1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़	अध्यक्ष, पामगढ़
2.	तहसीलदार, पामगढ़	सदस्य, पामगढ़
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पामगढ़	सदस्य, पामगढ़
4.	शाखा प्रबंधक, जिला (के.) सहकारी, बैंक मर्या., शाखा पामगढ़	सदस्य, पामगढ़
5.	कृषि विस्तार अधिकारी, पामगढ़	सदस्य, पामगढ़
6.	श्री श्रीराम गोड़, मु.पो.-खोरसी	सदस्य, पामगढ़
7.	श्री शिवदयाल खरे, मु.पो.-पामगढ़	सदस्य, पामगढ़
8.	श्री कनक राम जोशी, मु.पो.-पेण्ड्री	सदस्य, पामगढ़
9.	श्री गुलाब सिंह चंदेल, मु.पो.-कोड़ाभाट	सदस्य, पामगढ़
10.	श्री लहूरमन साहू, मु.पो.-कमरीद, तनौद	सदस्य, पामगढ़

उप संभाग स्तरीय सतर्कता समिति-उप संभाग, डभरा

1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा	अध्यक्ष, डभरा
2.	तहसीलदार, डभरा	सदस्य, डभरा
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डभरा	सदस्य, डभरा
4.	शाखा प्रबंधक, जिला (के.) सह., बैंक मर्या., शाखा, डभरा	सदस्य, डभरा
5.	श्री गेसराम बंजारे, मु.पो.-डभरा	सदस्य, डभरा
6.	श्री दिलेर सिंह सिदार, मु.पो.-डभरा	सदस्य, डभरा
7.	श्री नेतराम चन्द्रा, मु.पो.-डभरा	सदस्य, डभरा
8.	श्री भूपेन्द्र पटेल, मु.पो.-डभरा	सदस्य, डभरा
9.	श्री चमार सिंह पटेल, मु.पो.-कोटमी	सदस्य, डभरा
10.	श्री घुरूवा राम सिदार, मु.पो.-फलियामुंडा, पो. सकराली	सदस्य, डभरा

उप संभाग स्तरीय सतर्कता समिति-उप संभाग, सक्ती

1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष, सक्ती
2.	तहसीलदार, सक्ती	सदस्य, सक्ती
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा., सक्ती	सदस्य, सक्ती
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा., जैजैपुर	सदस्य, सक्ती
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा., मालखरौदा	सदस्य, सक्ती
6.	शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सक्ती	सदस्य, सक्ती
7.	श्री सत्यनारायण सिंह कवंर, मु.पो.-रेड़ा (सक्ती)	सदस्य, सक्ती
8.	श्री परशुराम सतनामी, मु.पो.-पलाड़ीखुर्द (सक्ती)	सदस्य, सक्ती
9.	श्री गेंदराम सूर्यवंशी, मु.पो.-पलाड़ीकला (सक्ती)	सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता
10.	श्री लीलाधर सिंह सिदार, मु.पो.-अचानकपुर (सक्ती)	सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्राधिकृत अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 812.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम घिवरा में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अभिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	665/1	0.02
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	665/2	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	664/1	0.03
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	664/2	0.03
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	367/1	0.05
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	369	0.02
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	371/1, 671	0.04
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	371/2	0.09
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	366/1	0.02
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	365/2	0.04
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	363/1, 376/1	0.04
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	362/1	0.03
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	365/1	0.03
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	354/1	0.04
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	355/1	0.01
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	355/2	0.01
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	355/3	0.01
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	356/1	0.01
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	359/1	0.03
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	359/2	0.03
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	358/1	0.04
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	339	0.02
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	331/3	0.04
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	330/1	0.01
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	386	0.04
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	389/2	0.02
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	389/3	0.02
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	389/1	0.05
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	390/1	0.03
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	477/1	0.02
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	477/2	0.01
32.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	479/1	0.07
33.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	479/2	0.04
34.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	506/1, 480/1	0.09
35.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	597/4, 501/2, 505/1	0.12
36.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	504	0.01
37.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	502	0.09
38.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	501/1	0.01
39.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	596	0.01
40.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	595/2	0.02
41.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	577/1	0.01
42.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	577/2	0.01
43.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	576/1	0.03
44.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	576/2	0.02
45.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	578/1	0.02
46.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	578/3	0.04
47.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	570/1	0.04
48.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	569/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा/05	568/1	0.16
			कुल	49	1.73

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 814.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम कटौद में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	195/1	0.03
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	146/1	0.02
3.	जांजगीर चांपा	डभरा	कटौद/15	149	0.02
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	195/2	0.01
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	33/4	0.01
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	194/1	0.05
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	150	0.07
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	133/1	0.04
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	139/2	0.02
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	139/1	0.01
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	[illegible]	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	35/1	0.02
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	49/1, 49/2	0.03
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	82	0.04
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	83/1	0.02
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	392/1	0.16
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	393/1	0.04
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	34/1	0.04
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	33/5	0.02
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	47	0.06
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	48	0.06
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	144	0.03
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	142/1	0.03
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	141	0.01
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	140	0.02
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	130/1	0.12
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	112	0.04
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	94/1	0.05
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	76	0.04
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	78/2	0.04
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	79/2	0.06
32.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	50/5	0.04
33.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	50/4, 50/3	0.02
34.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	36	0.06
35.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	151/1	0.03
36.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	152/1	0.11
37.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद/15	129	0.01
			योग	**37**	**1.54**

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 816.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा में जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम सुखदा में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1339/1	0.06
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1339/2	0.04
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1340/1	0.04
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1338/5	0.06
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1338/4	0.03
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1338/3	0.04
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1338/1	0.03
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1338/2	0.04
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1344/1	0.05
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1336/1	0.04
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1345	0.09
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1325/4	0.05
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1325/3	0.03
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1325/2	0.04
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1324/3	0.04
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1324/2	0.04
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1325/1	0.05
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1313	0.03
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	13, 14	0.03
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1324/1	0.02
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1309	0.04
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1310	0.06
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1008/2	0.09
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1008/1	0.06
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1000/4	0.01
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1004/1	0.03
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	983/1	0.02
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	981/3	0.03
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	980/2	0.02
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	980/1	0.02
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	844/2	0.10
32.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/1	0.09
33.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/2	0.02
34.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/3, 849/1, 850/3	0.03
35.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/4	0.01
36.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/5	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/6	0.01
38.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	839/7	0.01
39.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	1000/1, 1000/3	0.03
40.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	848/1	0.03
41.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	848/2	0.02
42.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	861	0.03
43.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	862	0.05
44.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	863/2	0.03
45.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	868	0.06
46.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	869/3	0.06
47.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	869/5	0.05
48.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	869/2	0.09
49.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	924/1	0.02
50.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	924/2	0.02
51.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	909/4	0.03
52.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	902/1	0.05
53.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	903/2	0.02
54.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	905/1	0.03
55.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	904/2	0.03
56.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	904/1	0.03
57.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	911/1	0.02
58.	जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा/06	911/2	0.12
			योग	**58**	**2.33**

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 818.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम चुरतेला में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली, कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	938/2	0.08
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	938/1	0.03
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	937/1	0.03
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	936/3	0.05
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	936/4	0.01
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	936/5	0.05
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	936/2	0.04
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	936/1	0.04
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	939	0.06
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	932/1	0.05
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	931	0.10
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	928/5	0.06
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	927/1	0.05
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	190/1	0.04
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	190/2	0.02
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	198/2	0.06
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	205/3	0.05
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	199/1	0.06
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	204/2	0.08
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	236	0.04
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	237	0.06
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	238	0.05
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	240/2	0.02
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	246	0.04
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	247/1	0.04
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	247/2	0.05
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	244	0.02
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	260, 261, 262, 263	0.03
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	337	0.04
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	336/2	0.04
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	336/6	0.04
32.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	335/3	0.05
33.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	335/4	0.04
34.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	331/3	0.04
35.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	331/2	0.02
36.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	331/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	328/1	0.06
38.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	328/2	0.05
39.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	326/1	0.03
40.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	327	0.01
41.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	325	0.03
42.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	321/1, 321/2	0.10
43.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	324, 322/2, 323/2	0.09
44.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	320/3, 322/1, 323/1	0.09
45.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	582/2, 582/4, 582/3, 582/5	0.04
46.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	579, 576	0.04
47.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	577/1	0.01
48.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	578	0.08
49.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	560/2	0.04
50.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	560/4	0.06
51.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	559	0.02
52.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	545	0.07
53.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	549	0.16
54.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला/08	548	0.08
			योग	**54**	**2.65**

एस. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).